समाचार

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना निगम के पार्षदों की एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

(भारत सरकार की उक्त दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी)

कोरबा 21 सितम्बर 2015 –भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देने आज निगम के पार्षदों व एल्डरमेनगणों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में आयुक्त एवं सिटी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा श्री आलोक चन्द्रवंशी व अभिकरण से जुड़े अन्य अधिकारियों ने योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यशाला में सभापति श्री धुरपाल सिंह कंवर, निगम के मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, एल्डरमेनगण तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली द्वारा दो महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया गया है, इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभागार में निगम के पार्षदों एवं एल्डरमेनगणों की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी डूडा श्री आलोक चन्द्रवंशी तथा डूडा के विशेषज्ञ अधिकारियों ने योजनाओं की विस्तार से जानकारी रखी। शासन की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन के तहत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के माध्यम से रोजगार के अवसर, पथ विक्रेताओं को आवश्यक सहायता तथा शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना आदि प्रमुख घटक हैं।

सामाजिक गतिशीलता एव संस्थागत विकास– कार्यशाला में बताया गया कि मिशन के इस प्रमुख घटक के तहत महिला स्वसहायता समूह का निर्माण, समूह में महिलाओं को बचत करने की आदत सिखाना, समय–समय पर प्रशिक्षण देना, आवर्तीनिधि उपलब्ध कराना, स्वसहायता समूह का पंजीयन तथा समूह के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिलाना प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत समूह गठन प्रक्रिया के नियम, समूह गठन के छः माह पश्चात दिये जाने वाले लाभ, आवर्तीनिधि एवं इस हेतु पात्रता व आवश्यक दस्तावेज, समूह के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज, पंजीयन के उद्देश्य तथा स्वसहायता समूह के पंचसूत्र सिद्धांतों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

स्वरोजगार कार्यक्रम– कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के एक प्रमुख घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत ऋण तथा समूह ऋण, ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता तथा इस हेतु आवश्यक दस्तावेज, बैंक संबंध, ब्याज राशि में छुट, बैंक संबंध आवश्यक दस्तावेज तथा इस हेतु स्वसहायता समूहों की पात्रता आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के माध्यम से रोजगार– कार्यशाला के दौरान बताया गया कि कौशल प्रशिक्षण व नियुक्ति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रतिवर्ष शहरी गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। कोरबा जिले में वर्ष 2014–15 में 1028 युवक–युवतियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है तथा वर्ष 2015–16 में 1031 का लक्ष्य रखा गया है, इसके तहत विभिन्न 08 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता–कार्यशाला में बताया गया कि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता पहुंचाना एक प्रमुख घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता के अंतर्गत उनके सर्वेक्षण व पहचान पत्र वितरण करने का कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही उनके बचत बैंक खाते खुलवाने तथा बचत व साख को बढ़ावा देने, शहर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाये रखने एवं ट्रेफिक नियमों की जानकारी देने कार्यशाला के आयोजन के कार्य किये गये है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – आज आयोजित कार्यशाला के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा इस संबंध में शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी रखी गई। आयुक्त एवं सिटी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा श्री आलोक चन्द्रवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन '' 2022 तक सबके

लिए आवास '' शुरू किया है, इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबो की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के तहत भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए, निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास, ऋण से जुड़ी ब्याज, सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास व लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी आदि विकल्पों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।